

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2780 / 2023

दिनांक : 18.09.2023

श्रीमती दीपिका सिंह (RJ00919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर को दिनांक 24.08.2023 से 25.08.2023 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 26.08.2023 से 27.08.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से  
16.09.2023  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/90/2015/ 599/

दिनांक : 18.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 28415 दिनांक 02.09.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती दीपिका सिंह (RJ00919), प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर ।
4. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलवर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर ।

18.9.2023  
सहायक रजिस्ट्रार